

य धान सभा अताबुल्ला प्रश्न क्र० 3454
 प्रश्नांश ड का परिशिष्ट "ब"
 प्रश्न क ली
 दिनांक - 15-07-2019
 23/07/2019



कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी
 (विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई)
 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जवा, जिला रीवा (MOPRO)



कमांक / 2018 / 9

दिनांक 18/8/19

प्रति,

धाना प्रभारी अ-तरैया
 पुलिस थाना.....जिला रीवा MOPRO

विषय - अनाधिकृति / झोला छाप चिकित्सको के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रत्रक दर्ज करने के सम्बन्ध में।

विषयार्तगत लेख है कि आज दिनांक 18/8/19 को ग्राम अ-तरैया अनाधिकृति रूप से क्लीनिक संचालित कर रहे डॉ. अ-तरैया के दवाख की जांच कि गयी। जांच करने पर पाया गया की चिकित्सक के पास एलोपैथिक चिकित्सा व्यवसाय से सम्बंधित कोई भी वैध दस्तावेज नहीं है। इनके द्वारा भोले भाली जनता के साथ धोखाधड़ी कर उनका उपचार किया जा रहा है जिससे कई बार मरीजों कि जान को खत उत्पन्न हो जाता है इनके विरुद्ध मेडिकल काउंसिल की धारा 15(2) का अपराध होना पा जाता है। प्रकरण पंजीवद्ध करने / कार्यवाही करने का कष्ट करे।

खण्ड चिकित्सा अधिकारी
 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जवा
 Community Health Centre
 Jwa, Rewa (M.P.)

